फोन : 0771-4053443
फैक्स : 0771-4036032

गुरूकुल महिला महाविद्यालय

छत्तीसगढ़ शासन तथा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से संबंध
गुरूकुल परिसर, कालीबाड़ी रोड, रायपुर (छ.ग.) ई-मेल : info@gurukulraipur.com
संचालित भातखण्डे ललितकला शिक्षा समिति, गांधी चौक, रायपुर (छत्तीसगढ़) पंजीयन क्रं. 16/51-52

बैठक

दिनांक 05.06.2021

गुरूकुल महिला महाविद्यालय, गुरूकुल परिसर, कालीबाड़ी रोड रायपुर की शासी निकाय समिति की बैठक दिन शनिवार, दिनांक 05.06.2021 को सायं 04:00 बजे प्राचार्य कक्ष में आयोजित है। इस बैठक में निम्नानुसार सदस्य उपस्थित हैं —

1. श्री अजय तिवारी	अध्यक्ष, शासी निकाय समिति
2. श्री तरल मोदी	दानदाता सदस्य, शासी निकाय समिति
3. श्री नरेशचन्द्र गुप्ता	प्रबंधन समिति सदस्य, शासी निकाय समिति
4. डॉ. चन्द्रकांत शर्मा	विश्वविद्यालय प्रतिनिधी, शासी निकाय समिति
5. श्रीमती शोभा खण्डेलवाल	प्रबंधन समिति सदस्य, शासी निकाय समिति
6. डॉ. पद्मा सोमनाथे	शिक्षक प्रतिनिधी, शासी निकाय समिति
7. डॉ. रिंकू तिवारी	शिक्षक प्रतिनिधी, शासी निकाय समिति
8. डॉ. संध्या गुप्ता	पदेन सचिव, शासी निकाय समिति

Rinku 05/06/21

इस बैठक में निम्नलिखित निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

निर्णय क्रमांक 01 - पिछले बैठक के निर्णयों की पुष्टि।

निर्णय :- प्राचार्य ने पिछले बैठक के निर्णयों को पढ़कर सुनाया सर्वसम्मति से इसकी पुष्टि की गई।

प्रस्ताव क्रमांक 02 - चिकित्सा एवं विशेष अवकाश नियमावली के संबंध में चर्चा एवं निर्णय।

निर्णय :- प्राचार्य ने जानकारी दी कि महाविद्यालयीन प्राध्यापकों द्वारा दिनांक 10.12.2020 को अर्जित एवं चिकित्सा अवकाश हेतु दिए गए आवेदन पर संचालिका समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के परिपालन में शासी निकाय समिति की बैठक दिनांक 23.01.2021 में लिए गए निर्णय के परिपेक्ष्य में अवकाश नियमावली हेतु गठित समिति के संयोजक द्वारा अवकाश नियमावली का प्रारुप बनाया गया है। अवकाश नियमावली प्रारुप के संबंध में चर्चा एवं निर्णय हेतु अवकाश समिति की बैठक दिनांक 22.05.2021 में लिए गये निर्णयानुसार अवकाश नियमावली का प्रारूप एवं सदस्यों का अभिमत प्रस्तुत है। विचार-विमर्श उपरांत संयोजक श्री नरेश चन्द्र गुप्ता के द्वारा प्रस्तावित अवकाश नियमावली को मान्य किया गया।

PRINCIPAL,
Gurukul Mahila Mahavidhyalaya
Kalibadi Road, RAIPUR (C.G.)

प्रस्ताव क्रमांक 03 - नैक मूल्यांकन हेतु कंसलटेंट नियुक्ति के संबंध में चर्चा एवं निर्णय ।

निर्णय :- प्राचार्य ने जानकारी दी कि उच्च शिक्षा अनुदान आयोग एवं विश्वविद्यालय के अनुसार सत्र 2022 तक सभी महाविद्यालय का नैक मूल्यांकन कराना अनिवार्य है। नैक मूल्यांकन हेतु कुछ एजेंसीस कंसलटेंसी देती है, जिससे सही दिशा में नैक मूल्यांकन की तैयारी का कार्य किया जा सकता है। विचार-विमर्श उपरांत कंसलटेंट नियुक्ति के प्रस्ताव को मान्य किया गया एवं इस प्रक्रिया की कार्यवाही के लिए प्राचार्य को अधिकृत किया गया ।

प्रस्ताव क्रमांक 04 - महाविद्यालय भवन के रेनोवेशन कार्य के संबंध में चर्चा एवं निर्णय ।

निर्णय :- प्राचार्य ने जानकारी दी कि नैक मूल्यांकन के लिए महाविद्यालय भवन की अधोसंरचना में सुधार अतिआवश्यक है। इस संबंध में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महोदय को सभी जानकारी दी जा चुकी है। विचार-विमर्श उपरांत संचालिका समिति द्वारा रेनोवेशन कार्य की अनुमति की प्रत्याशा में इस कार्य को कराने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

प्रस्ताव क्रमांक 05 - कर्मचारियों एवं छात्राओं के लिए महाविद्यालयीन आचरण संहिता का अनुमोदन।

निर्णय :- प्राचार्य ने जानकारी दी कि नैक मूल्यांकन हेतु महाविद्यालय के वेबसाईट को अपडेट किया जा रहा है। वेबसाईट में आचरण-संहिता का उल्लेख अतिआवश्यक है। प्राचार्य ने महाविद्यालय में प्रचलित आचरण संहिता को प्रस्तुत किया एवं अवलोकन तथा विचार-विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आचरण संहिता का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रमांक 06 - सत्र 2020-21 के लिए विवरणिका प्रिंटिंग के संबंध में चर्चा एवं निर्णय।

निर्णय :- प्राचार्य ने जानकारी दी कि नैक मूल्यांकन हेतु महाविद्यालय के वेबसाईट में विवरणिका की सॉफ्ट कॉपी

PRINCIPAL,
Gurukul Mahila Mahavidhyalaya
Kalibadi Road, RAIPUR (C.G.)

को अटैच करना आवश्यक है, अतः प्रतिवर्ष विवरणिका की डिजाईन करना चाहिए। विचार-विमर्श उपरांत प्रतिवर्ष विवरणिका की सॉफ्ट कॉपी बनवाने का निर्णय लिया गया। इस कार्य के लिए नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्राचार्य को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव क्रमांक 07 – अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से।
निर्णय :– शिक्षक प्रतिनिधियों ने शासन से प्राप्त हो रहे अनुदान को 100% की दर से नियमितीकरण के लिए संचालिका समिति की अनुमति बाबत आवेदन प्रस्तुत किया। विचार-विमर्श उपरांत अध्यक्ष महोदय ने इस आवेदन को संचालिका समिति की सामान्य ~~बैठक~~ सभा की बैठक में रखकर, लिए गए निर्णय से अवगत कराने की बात कही।

[signature]
प्राचार्य / पदेन सचिव
शासी - निकाय
गुरुकुल महिला महाविद्यालय, रायपुर

[signature]
अध्यक्ष
शासी निकाय समिति
गुरुकुल महिला महाविद्यालय

[signature]
PRINCIPAL,
Gurukul Mahila Mahavidhyalaya
Kalibadi Road, RAIPUR (C.G.)